हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 155/2012 (54/2003) राकेश बनाम रामनाथ अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
020	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी/वादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 दिनांक 06.06.2018 पर सुने जाने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अनुरोध किया की रेस्पोडेंट संख्या 1/3 महावीर पुत्र रामनाथ की मृत्यु दिनांक 13.05.2018 को हो गई हैं। महावीर के वारिसान श्रीमति सुनीता देवी (पत्नी), किरण, कविता (पुत्री), विष्णु, पवन(पुत्र) हैं। उक्त वारिसान में से सुनिता को छोडकर शेष वारिसान अल्पव्यस्क हैं जिनकी संरक्षिका माता सुनिता देवी हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कालूनाथ पुत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर का शपथ पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक रेस्पोडेंट संख्या 1/3 के उक्त वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादी अभिभाषक श्री मदन सिंह को दिनांक 20.01.2020 को दी गई। प्रतिवादी संख्या 2 श्री मदन सिंह रावत द्वारा दिनांक 20.01.2020 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 रामनाथ का 2 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक वादी/अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लेने के कारण वादी का वाद अबेट (Abet) हो गया हैं अतः वादी का वाद अबेट हो जाने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वादी अभिभाषक के द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्राप्त की गई। वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 23.01.2020 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 का भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति दिनांक 23.01.2020 को प्रतिवादी अभिभाषक को दिये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र आज दिनांक 05.02.2020 को पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी रामनाथ का देहान्त हो गया हैं। रामनाथ के विधिक वारिसान श्रीमति भूरी देवी पत्नि, श्रीमति लीला देवी पुत्री रामनाथ, महावीर पुत्र श्री रामनाथ हैं। मृतक रामनाथ का पुत्र महावीर का भी देहान्त हो चुका हैं जिसके श्रीमति सुनिता पत्नि, किरण पुत्री महावीर, कविता पुत्री महावीर, विष्णु पुत्र महावीर, पवन पुत्र महावीर उक्त समस्त मृतक महावीर के वारिसान हैं। उक्त सुनिता के पुत्र पुत्रियो की संरक्षिका उनकी माता श्रीमति सुनिता देवी हैं। मृतक रामनाथ व उसके मृतक पुत्र महावीर को रिकॉर्ड पर लेने हेतु माननीय तहसीलदार अजमेर के न्यायालय में चल रहे प्रकरण संख्या 3/2007 बाबत् नामान्तकरण राकेश बनाम रामनाथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 समयावधि में पेश कर दिया गया। इस प्रकार एक अन्य दीवानी अपील संख्या 65/2012 हेमा बनाम रामनाथ माननीय श्रम एंव औद्योगिक प्राधिकरण अजमेर में भी रामनाथ रेस्पोडेंट था उस प्रकरण में रामनाथ एंव उसके वारिसान पुत्र महावीर की मृत्यु का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश किया जा चुका हैं जो न्यायालय ने स्वीकार कर लिया हैं। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय में सहवन से रामनाथ की मृत्यु पर वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश नहीं हो सका हैं। वादी के अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सहवन से पेश करना रह गया हैं। अलवत्ता मृतक महावीर पुत्र रामनाथ के वारिसान का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर मौजूद हैं। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 प्रोसिजर लॉ है न की सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसिजर लॉ न्याय प्राप्त करने का सहयोगी होता है न की अडचन पैदा करने के लिये। अन्त में अबेटमेंट सेट असाईट किया जाकर उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में वादी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीरे 2007 RRD 264, 2007(1) RLW (RJ) 265, 2007(1) RLW (RJ) 597, 2009(2) RLW(RJ) 1287, 2007 (2) RLW (RJ) 708, 2017 RBJ 386, 1983 AIR (SC) 355, RRD 2010 50, के प्रतिपादित सिद्वान्त के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी अभिभाषक श्री मदन सिंह रावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 का जवाब दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वादी अभिभाषक को दी गई। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब के समर्थन में 2005 RBJ(SC) 235 के प्रतिपादित सिद्वान्त के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। उभय पक्ष के निवेदन पर प्रार्थना पत्रों पर बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर पक्षकारान की अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी /वादी अभिभाषक द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रो को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी श्री मदन सिंह रावत द्वारा अपने जवाब में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी रामनाथ का देहान्त हो गया है लेकिन प्रतिवादी रामनाथ का कब देहान्त हो गया वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही नहीं दर्शाया है जबकि उनका देहान्त हुए दो–ढाई वर्ष हो गये हैं इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर हो जाने के कारण वाद अबेट हो गया हैं। महावीर पुत्र रामनाथ का देहान्त हो गया है लेकिन वादी ने महावीर का कब देहान्त हुआ प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया है जबकि महावीर का देहान्त हुए डेढ वर्ष हो गया हैं इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र मियाद बहार होने से वाद अबेट हो गया है। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया की मृतक रामनाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र तहसीलदार अजमेर के यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उनके पुत्र महावीर का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उसमें कालू का शपथ पत्र पेश किया गया था जो उसमें पक्षकार ही नहीं था। इसलिए उसके पुत्र के वारिसान का प्रार्थना पत्र के आधार पर रामनाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। वादी के द्वारा मृतक रामनाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र श्रीमान औद्योगिक प्राधिकरण एंव श्रम विभाग के न्यायालय में पेश नहीं किया गया हैं बल्कि उसके पुत्र महावीर के वारिसान का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, उसमें शपथ पत्र कालू का पेश किया गया था जो उसमे पक्षकार नहीं था। इसलिए उसके पुत्र के वारिसान के प्रार्थना पत्र के आधार पर रामनाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। वादी अभिभाषक द्वारा मृतक प्रतिवादी के विरूद्व आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 में वादी अभिभाषक द्वारा 90 दिवस में कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वाद अबेट हो चुका है। इस बाबत् वादी द्वारा जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही नही की गई है। अन्त में प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा वाद धारा 88,188 का होने से वाद को अबेट किये जाने का निवेदन किया।	

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 155/2012 (54/2003) राकेश बनाम रामनाथ अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

वादी अभिभाषक द्वारा रिबिटल बहस करते हुए निवेदन किया की वाद में अभिभाषक की गलती की स पक्षकार को नहीं दी जा सकती। पारित प्रतिपादित सिद्वान्तों में ऐसे प्रकरणों में न्यायालय को शिथिल रखनी चाहिए का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रतिपादित सिद्वान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत न्यायालय में पंजीकृत हैं। वादी/प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के 2 भिन्न–भिन्न प्रार्थना पत्र क्रमशः महावीर व रामनाथ के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु क्रमंशः दिनांक 06.06.2018 एंव 23.01.2020 को प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 06.06.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 के साथ कालू पुत्र स्व0 प्रेमनाथ का शपथ पत्र संलग्न किया गया हैं जो की वाद पत्रावली पर पक्षकार ही नहीं हैं। वादी द्वारा दिनांक 23.01.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ राकेश पुत्र निम्बानाथ का शपथ पत्र संलग्न किया गया हैं। उक्त प्रार्थना पत्रो के साथ वादी द्वारा सी.पी.सी में अंकित प्रावधानो के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हैं ना ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्रो के साथ अबेटमेंट सेटअसाईट करने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया हैं और ना ही प्रार्थना पत्र को देरी से प्रस्तुत करने पर हुए विलम्ब से राहत प्रदान करने हेतु मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 का प्रस्तुत किया गया हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब अवधि से प्रस्तुत किया गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे वाद पर लागू/चस्पा नहीं होती है, वही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर लागू/चस्पा होना स्पष्ट हैं वादी द्वारा विधिक प्रावधानो के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब की क्षमा हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादी का वाद अबेट हो जाने के कारण वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.02.25 16:17:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: